वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 42

राजस्व विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	28.93	28.93	...	28.56	28.56	...	66.44	66.44
पूंजी		...	*13.59*	*13.59*	...	*52.43*	*52.43*	...	*5.05*	*5.05*
जोड़		**...**	**42.52**	**42.52**	**...**	**80.99**	**80.99**	**...**	**71.49**	**71.49**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	53.72	53.72	...	42.55	42.55	...	42.90	42.90
2. मूल्य वर्धित कर योजना का कार्यान्वयन	2052	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
3. कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन	2052	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
4. प्रवर्तन निदेशालय	2047	...	18.29	18.29	...	16.97	16.97	...	18.40	18.40
5. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	...	2.04	2.04	...	1.75	1.75	...	2.06	2.06
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18
7. अन्य व्यय	2047	...	7.89	7.89	...	8.14	8.14	...	9.32	9.32
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
8. स्वापक नियंत्रण	2070	...	7.58	7.58	...	11.46	11.46	...	11.48	11.48
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	...	0.53	0.53	...	0.53	0.53	...	0.65	0.65
10. औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि को अंतरण	2070	...	1.00	1.00	...	...	...	...	1.00	1.00
अन्य उद्योग										
11. अफीम और एल्कालायड कारखाने										
11.01 राजस्व व्यय	2875	...	235.87	235.87	...	180.69	180.69	...	227.55	227.55
11.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0875	...	-335.00	-335.00	...	-270.00	-270.00	...	-285.00	-285.00
11.03 *निवल*		...	-99.13	-99.13	...	-89.31	-89.31	...	-57.45	-57.45
11.04 पूंजी व्यय	4875	...	8.59	8.59	...	8.43	8.43	...	4.05	4.05
12. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम तथा एल्कालायड कारखाने	2875	...	0.48	0.48	...	0.51	0.51	...	0.52	0.52
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क										
13. अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर संग्रह	2045	...	35.00	35.00	...	34.50	34.50	...	36.00	36.00
14. विदेश यात्रा कर संग्रह	2045	...	1.00	1.00	...	0.93	0.93	...	1.00	1.00
आय और व्यय पर करों का संग्रह										
15. अन्य व्यय	2020	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35	...	0.36	0.36
16. तैयार निर्मित रिहायशी आवास की खरीद										
16.01 कार्यालय भवन	4059	...	...	...	...	43.00	43.00	...	...	...
16.02 रिहायशी भवन	4216	...	5.00	5.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00
	जोड़	...	*5.00*	*5.00*	...	*44.00*	*44.00*	...	*1.00*	*1.00*
कुल जोड़		***...***	***42.52***	***42.52***	***...***	***80.99***	***80.99***	***...***	***71.49***	***71.49***

1. इसके अन्तर्गत राजस्व विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी शामिल हैं।

2. 12 विशिष्ट श्रेणी तथा नव सृजित राज्यों के संबंध में मूल्य वर्धित कर (वैट) की ओर संचलन करने के अंतिम लक्ष्य के साथ बिक्री कर विभाग के आधारभूत ढांचें के सशक्तीकरण हेतु एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हुए व्यय की प्रतिपूर्ति विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम द्वारा की जाएगी।

3. यह सांकेतिक प्रावधान एक कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन करने के लिए किया गया है ताकि 28 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को वैट प्रणाली की शुरुआत तथा उपकरणों की खरीद तथा अधिकार प्राप्त समिति/वैट परिषद् के लिए बैठकें आयोजित करने पर होने वाले विविध खर्चों के संबंध में जोड़ा जा सके।

4. इसमें प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रवर्तन से संबंधित है।

5. इसमें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को उसके स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता अनुदान देने के लिए प्रावधान किया गया है।

6. इसमें मनी लाडरिंग संबंधी एशियाई/प्रशांत समूह की सदस्यता के लिए वार्षिक अंशदान के लिए प्रावधान है।

7. इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

8. इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के लिए प्रावधान शामिल है।

9. इसमें औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि, कर प्रशासकों संबंधी राष्ट्रमण्डलीय एसोसिएशन, सीमाशुल्क परिषद और कोलंबो प्लान ब्यूरो के औषध परामर्शदात्री कार्यक्रम में अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है।

10. यह प्रावधान राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि को निधियां अंतरित करने के लिए किया गया है।

11. यह अफीम उत्पादन की खरीद सहित गाजीपुर तथा नीमच स्थित अफीम फैक्टरियों और एल्कालायड कारखानों के निवल व्यय को दर्शाता है। केन्द्रीय सरकार

अफीम की खेती पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखती है तथा इसको संसाधित करने तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिक जरुरतों के लिए बिक्री हेतु सारा उत्पादन खरीदती है।

12. यह प्रावधान मुख्य नियंत्रक के संगठन, सरकारी अफीम और एल्कालायड कारखानों के व्यय के लिए किया गया है।

13. अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर देशीय वायु यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से उद्ग्रहणीय था। यह कर कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता था। यह प्रावधान कैरियरों को संग्रहण प्रभारों की अदायगी के लिए है जो संग्रहीत कर के 5% की दर पर आकलित किया जाता है। दिनांक 9 जनवरी, 2004 से यह कर समाप्त कर दिया गया है।

14. किसी यात्री द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा कर संदेय है। यह कर कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता है जिसके लिए संग्रहित कर के 1/3 प्रतिशत संग्रहण प्रभार का उन्हें भुगतान किया जाता है। यह प्रावधान ऐसे प्रभारों की अदायगी के लिए किया गया है।

15. यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय आर्थिक और समाज कल्याण संवर्धन समिति के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है।

16.01 यह प्रावधान वित्त मंत्रालय के कार्यालय अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (राजस्व विभाग)भारत के प्रतियोगिता आयोग (कम्पनी कार्य विभाग) तथा पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण के लिए तैयार निर्मित कार्यालय भवन की खरीद के लिए है।

16.02 यह प्रावधान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के लिए तैयार-निर्मित रिहायशी आवास खरीदने के लिए किया गया है।